4/01/2022

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट संख्या 1,3 को दिनांक 8/12/21 को जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था बावजूद इसकी फिर से आज की जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अपीलांट संख्या 1,3 का जवाब बन्द किया जाता है। वकील अपीलांट ने अधिक समय बहस हेतु निवेदन किया तथा कहा कि अपीलीय के बेचान करने हेतु पाबन्द किया जावे। वकील अपीलांट संख्या 2,04 ने उभयपक्ष को पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का मनन करते हुए पाया कि तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विवादग्रस्त कृषिभूमि राजस्व ग्राम भाचक तह० हवेली भाचक मु० अ० कि० क्षेत्र भाचक तहसील व जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 60 पुराना 97 के ख०नं. 482/2 रकबा 0.2023 है०, ख०नं. 500 रकबा 0.1770 है० ख०नं. 507 रकबा 0.0759 है०. कुल किता 03 कुल रकबा 0.4552 है० एवं खाता संख्या नया 59 पुराना 192 के ख०नं. 672 रकबा 0.3288 है० व खाता संख्या 229 पुराना 343 के ख०नं. 671 रकबा 0.4426 है० में उभयपक्ष को वाद के निर्णय तक विशिष्ट स्थायी भाग के बेचान न करने पर पाबन्द किया जाता है। पत्रावली मूल वाद की सुनवाई रहे। पत्रावली पर मनन के बाद दिया फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज दिनांक 04/01/2022 को सार्वजनिक रूप से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:26:50 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम